UGC Approved Journal
- Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 115-116
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Status of Women in Politics of India

The successive election statistics shows that the no. of women have increased from election to election. For the last 2 decades, almost equal no. of men and women has gone to the polling booths to vote. The measurement is of women political participation is essential to identify need of policy intervention to improve. Present study is emphasized on participation of Indian women in politics. ***Keywords : Politics, Woman Participation, Representation.***

DR. PARAS JAIN

Introduction :

Politics is the process by which groups of people make decisions. It consists of social relations involving authority and refers to the regulation of a political unit and to the tactics used to formulate and apply policy. The unit consists of men and women, men have always dominated the field. Hindu mythology shows that status of Hindu women during the early Vedic period women had freedom to take decisions, to administer society and state. Now in independent India, women are holding important political and administrative positions.

Political participation is defined as voluntary participation in political affairs through membership, voting and taking part in activities of political parties, legislative bodies, and political movements. Indian women have achieved commendable program in literacy, education and employment. They have achieved rights equal to that of men for parental assets. They have proved their ability in the field of science and technology. At in all levels, women face obstacles to their participation in politics.

On the insist of women's organizations, govt. of India made provision in the panchayat and Nagar Palika Bills of 1992 to reserve 33% of candidature and constituencies in the local bodies as panchayats, municipalities and corporations for women. The system of reserving for women 33% seats in parliament already exists in Russia, Philippines, Korea etc. In Norway, Sweden, France, Germany etc the political parties reserve 33% seats for women.

Increased participation is occurring in both rich and poor states in India. The gender wise ratio of voters has improved from 715 female voters for every 1000 male voters in the 1960 to 926 female votes in 2014. More than 26 lakh representatives were stand in election of 3 level of panchayat, of these 10 lakh were women. The last 15 years of panchayat raj have thus succeeded in empowering marginalized groups who have gained political representation and valuable experience.

The representation of women in the higher cadres of political parties is also low. The no. of women at the top, policy making executive bodies of the parties is absolutely nominal. The political parties are interested only in female vote bank. The seniors of political parties are not interested to promote female membership in the party. The poor women and grass root level member are not much aware of the mainstream activities of their respective parties. When the election comes they beg vote for party. Without proper representation of women in the legislative bodies and political participation of women at all levels issues concerning women would remain neglected. Their participation as voters, candidate, campaigners, and office holders equal to men still remains a dream.

Women participation as a proxy candidate is common issue. Due to reservation policy some women go elected but they acted merely as the mouth piece of their male family members. There are cases where women are participating in activities but they depend on others to make decisions.

Methodology :

Present study is based on survey. Data is collected from govt. offices, news paper, magazines and websites. Collected data is tabulate and comparatively analyzed with the help of chart. Percentage is used as statistical tool.

Conclusion :

To secure rightful place in society and to enable them to decide their own destiny and for the growth of socio economic status women's empowerment is necessary. Women's participation will clean the politics and bring transparency. The society acknowledged the sincerity and commitment of women to their duties and their resistance to criminalization of politics. If a true democratic and equitable society is to be created then women from all segments,

Director, Silicobyte KDC Katni Degee College, Dikshabhumi Campus, Adharkap, Katni (Madhya Pradesh)

Table 1 : Status of Women in Other Countries Parliament

S.N.	Country	Lower House			Upper House		
		Total	No. of Women	Women %	Total	No. of Women	Women %
1	United States of America	431	83	19.3	100	21	21
2	Sweden	349	152	43.6	0	0	0
3	Spain	350	137	39.1	266	101	38
4	South Africa	400	166	41.5	54	19	35.2
5	Germany	630	233	37	69	27	39.1
6	Switzerland	200	65	32.5	47	7	15.2
7	Italy	650	195	30	805	207	25.7
8	Canada	335	88	26.3	100	43	43
9	France	577	149	25.8	348	95	27.3
10	China	2924	709	24.2	0	0	0

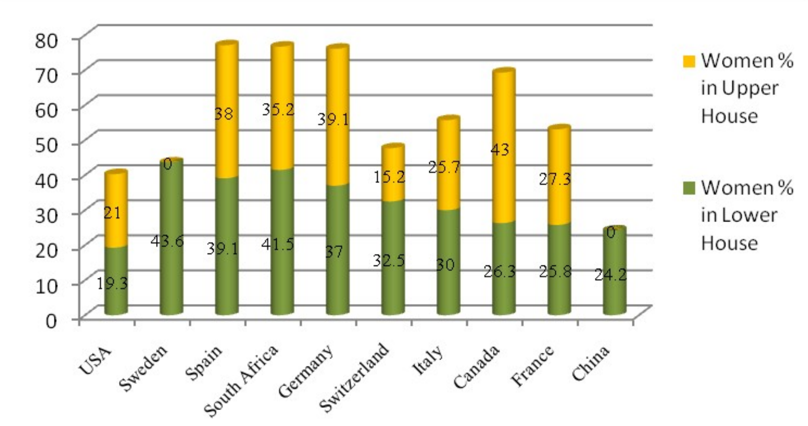

Chart 1 : Status of Women in Other Countries Parliament

Table 2 : Status of Women in Indian Politics

Post	Total	No. of Women
Member of Lok sabha	543	66
Member of Rajya sabha	234	27
Cabinet Minister	26	5
State Minister	39	4
Chief Minister	31	3
Member of Legislative Assembly	4120	332

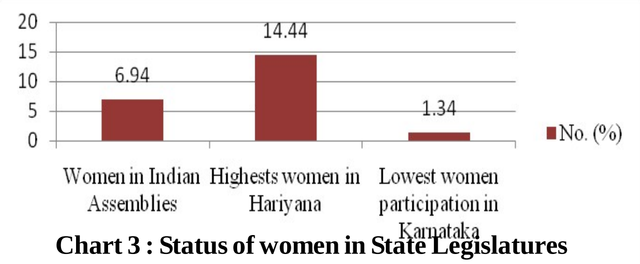

Chart 3 : Status of women in State Legislatures

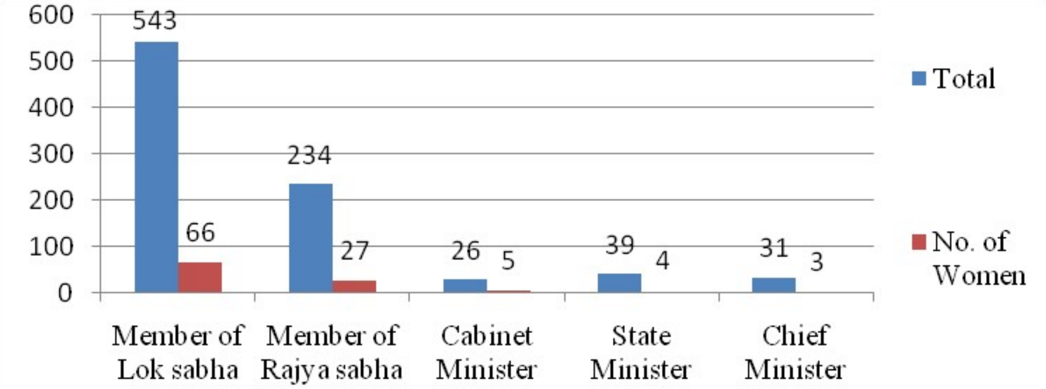

Chart 2 : Status of Women in Indian Politics

including the less privileged, must be given a voice in decision that affected their lives and that of their family and social status. The equal participation of women in politics and govt. is integral building strong communities and a vibrant democracy in which women can thrive.

References :

(1) *Matthai, R. (2007) : Political status of Indian women: Progress since independence, Main Stream weekly, Vol. XLV, No. 1.*

(2) *Thanikodi, A., & Sugirtha, M. (2007) : Status of women in politics, The Indian Journal of Political Science, Vol. 68, No. 3.*

(3) *Mondal, M.S. (2017) : Women participation in democratic govt.: Issues & Challenges, India's most authentic free legal source online.*

(4) *Begum, S. (2015) : Political participation of women: Some issues and challenges, International Journal of Applied Research, Vol. 1 (11).*

☸☸

UGC Approved Journal
- Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**

Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 117-119

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Joint Forest Managmang is A Tool of Employment For Tribe

It is true that Indian tribal people is still soc-ecnomical bacword and vulnerable.It is seen that mager tribal people living in forest and depand upoan the forest.joint forest management is new approach for forest development .Joint Forest Managmant(JFM) give the different aportunity for tribal upliftment. Employment is one of the important asspact among them. Key Words : Joint Forest Management, Employment, Tree plantation, Local People.

GHANSHAM BABURAO JAGTAP

(1) Introduction of Topic :

Indian Tribal are usually staying in the mountains and the vallies.Their social and economical life is totally depend on forest resources; such as collection of wood, gum and hunting. Their language, life style, culture and tradition is totally different compare to other Indian society. Adivasi or Vanvasi word is used for them in Marathi language. since 1998 Indian government has changed the forest conservation policy, under the Joint Forest Management Committee. With the help of this committee, government want to save the forest and to support local Tribal community.

(1.1) Background of Forest Management Committee :

The evidences of Forest Management in the religious scripts such as in Vedas, Upnishadas, Tripithika and Bible. In these religious scripts there was much importance to forest nourishment, protection and management. In B.C.300 years the Emperor Chandragupta Maurya and the Emperor Ashoka appointed the forest officers of forestation and protection. Even the Emperor of Mughal period, Akabar and Jahangir did much for nourshing and protecting the forest.

Before independence 1881 and 1927 the British government made the laws of Forest Management. Under these laws the power of local Tribes and king diminished by the British government and simultaneously deforestation process took place in India. But after independence in 1952,1998 (forest policy) state government got full power to control over the deforestation and to change the attitude of forest management committee.

(1.2) The Modern Forest Management Committee :

After independence the modern committee progress in India as per the international level forest management committee. For instance at Arberi forest department of west Bengal in 1971 the forest regional officer Mr. Ajit K. Banerji had found out that some local Tribal illegally use to cultivate forest land. Because there was not any coordination between state government and local Tribes, Some senior forest officers came together and established Local Forest Management Committee. Under this committee 11 villages were selected for forest protection management committee. Another most important instance, in 1976 at Sukhomajri village, district Ambala in Hariyana State established the same local forest management committee for forestation and protection of Kair and Bhabbar plant kingdom. Hill Resource Management Society established in 1980 in the same Sukhomajri village for enhance the economical development of the local Tribes.

After successful achievement of local forest management committee of forestation and protection in West Bengal and Hariyana,These committees are merged into the Government Forest Management Committee in 1988. In 1990 the government forest management committee developed the principles and guidelines for the committees. Upto 2005 this scheme is implemented in 27 states, more than 63,000 forest management committees are established and more than 1,40,000 hector forest area occupied by the forest management committees and thus simultaneously Joint forest management committee policy developed in India.

(1.3) Global View of Forest Management :

The environmental issues are discussed in the conference of Global Environmental Development arranged in Brazil (Rio-the-Janero) in 1972. In 1995 UNO created Task Force on Forest under Sustainable Development Commission. Environmental Forum on Forest created for the year 1997 to

Research Scholar, M.V.Pune (Maharashtra) & M.V.P.s College of Social Work, Nashik (Maharashtra)

2000 period. Its main motto was to do the management, forestation and permanent development of all the global forest. For this UNOGA did agreement on global level for forestation and protection as well as to hand the Tribal.On, 17th Dec.2007.on the forest and Tribal livilyhood issues, other countries also working such as Austrial-Regional Forest Agreement, Nepal-Community Forest User Group, Thailand-Community User Zone, South Africa-National Forestry Advisory Council etc. Such types of public participatoy Programmes are going on over all the world.

(2) Objectives of Study :

(1) To study the function of forest J.F.M. Committee.

(2) To study the correlation bettwe en J.F.M. work and youth employment.

(3) Study Area : Researcher take west Nashik forest zone for study.

(4) Data Collection :

Primery Data Collection :

(A) Non-Participatory Observation : Researcher has used directly non-participatory observation method for primery data collection such as meetings of committee, mode of forest observation, guidance of government officer, etc.

(B) Secodary Data Collection : Secondary data was collected through journals, periodicals, newspapers, literature review, textbooks, internet, website of the forest and tribal departmen

(5) Revew of Youth Employment Through JFM :

After 1980s the government chang their polices about the various schemes .public participation ,public contribution ,social accountion this concept is introduced in evry sector of Administration .On this cercumtances forest deprtmant lonch Joint Forest Managmant Scheme .According this scheme local tribal people should help the forest deprtmant for forest coservatio and fore that forest depatmant fulfil the tribals need .After 1988 many of joint forest commeetes wear beuild up by Government and non Gov.organisation in Maharastra. Thie is 15500 joint managant commeetes till 2012 .Governmet give tham many type of work like Mahatma Ghandhi National Guranti Scheme Watershed Program, Dam construction,Tree plantation ,forest sanitation.etc.some of JFM commeettes devlop the sourounding natural spot and make a turist plase ,picnic spot and get the employment.

Shsene villaga, thane district,dahanu forest rang-inthis villege jfm is establish in 1212.the villege take many program of tree plantation, watershed program, the villege has selected for grrn india mission.so the many of villagers got the job.shahapour forest rang tile joint forest managmant commeeette estabised JFM in 2003 and make tree plantation in large scale. Many of youth take participated in this work.

Tabal No 1 : Employment thrugh Joint Forest Management

Name of Village and District	Activity	Year	Result
Seshane,Thane	Tree plantation	2011-12	335 vilagers get employment
Tile and kalgoun,Thane	Foret conservation	2010-11	226 vilagers get employment
Bhgdel, Thane	Tourist point	2008-09	70 vilagers get employment,creat the 17 lakh rupes in this year
Nagoun, Alibag	Eco-frindliy tourist point	2010-11	863 vilagers get employment
Amzari,Chikhaldara, Amraveti	Tourist point, babu house	2014-15	30 guied ad 280JFM member get job
Brhamapuri, Chandrapour	Established – action for rural development center	2014-15	328 vilagers get employment, and give the traning for empoloyment
Mahadevwadi,Vardha	Turist point	2012-13	78 vilagers get employment,creat the 12 lakh rupes in this year
Satana,Corobanager, Kenashi, Nashik	Foret conservation	2012-13	225 vilagers get employment,5 self help womens group established
Bhrei,Karanjul, Kirdi,Simbalepipri, Dalpatpur, Nashik	Soil conservation	2011-12-13	986 vilagers get employment

(6) Suggestions for Forest Department :

(1) Equal forest protection policy is required by forest department and government.

(2) Grampanchayat's advice is must in distribution of forest production, for reducing the conflicts among the members and villagers.

(3) Make a policy on woman and children participation in J.F.M.Committee.

(4) Make a policy on Transportation in tribal area for tribal forest based production.

(5) For understanding tribal people government should use simple language in G.R. make a comprehensive policy for all caste and categories for participating in J.F.M.Committee.

(6) In the area of study, the local farmars are more then 90% population so committee's pattern should be based on agriculture .

(7) In the area of research March,April,May in this season every family collect flowers(mahua) as there convenience and they store it. Make well plan of this period at committee level and collect flowers by group make sure that equal distribution of flowers by this activity incrise the peoples contribution, planning,unity and also beneficiary for the economy of village.

(8) In the Forest unauthorised construction, Cutting Wood In this types incidents happened and those people

are related to the village and also relatetives of villagers at that time committee face some difficulties to take action against them. That's why committee should be follow all rules and regulation strictly.

(9) By the department of Forest provided employment training that is not enough and available for all the members that's why committee members should try to get help of some NGO's and conduct a training programme.

(10) The trible have there different lifestyle compare with modern society. According to this concern forest department should give them such a type of responsiblity that should be match of tribles life style.

(11) Forest Department or Government should take care of the polyticle introvention in to JFM Committees work, because it have good and bad side-effect on JFM work.

(7) Conclusion :

After changing the approach of government towards the forest it is seen that many villegers and local people take participation in actual work.G overnmant and other sauporting agances established many scheme for employment such as tree plantation, watershed development,turisim,etc. according to this activity many of local people get the employment.

(8) References :

(1) *Pathak Nima and Erica Taraporewala, Towards Self Rule And Forest Conservation In Mendha-Lekha Village,2008, Pune, Gadchiri Kalpavriksh, International Institute of Environment and Development.*

(2) *Ghate R., Joint Forest Management:Constituting New Commons, A Case Study Of Maharashtra; 2008, Nagpur, Department of Economics.*

(3) *N.C. Saxena, Joint Forest Management a New Development Band Wagon in India, 1976, Hydrabad, Rural Development of India, Vol. No.14, Page No.1 to 9.*

(4) *Rout Satyapriya, Joint Forest Management In Orissa Challenges And Opportunities, 2010, Banglore, Institute of Social And Economical Changes (ISEC), Vol. No.26, Page No.71 to 89.*

☸☸

UGC Approved Journal
- Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**
Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 120-122
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

सांस्कृतिक विरासत - कुमाऊँनी संस्कृति

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत की पुरातन सांस्कृतिक विरासत में से एक कुमाऊँनी संस्कृति पर विस्तार से विचार किया गया है। आज कुमाऊँ का लोक साहित्य या परम्पराएँ निरंतर पतन की ओर अग्रसित हैं। यद्यपि वर्तमान में महिला के रहन-सहन एवं ओढ़ी हुई मानसिकता में स्वाभाविकता की अपेक्षा चमत्कारिता अधिक है, जबकि कुमाऊँनी महिलाओं का रहन-सहन व जीवन के प्रति दृष्टिकोण सहज है। कुमाऊँनी समाज पुरुष प्रधान माना जाता है, परंतु यहाँ का लोक साहित्य व उसके विभिन्न पहलू धार्मिक, सामाजिक, कृषि या श्रमगीत, उत्सव, पर्व-त्योहार आदि सभी में महिलाओं की अभिन्न भूमिका रहती है। आधुनिक काल में इस जीवन की पारम्परिक स्वच्छंदता टूटने लगी है। स्वाधीनता के पश्चात् तो उसके टूटने का क्रम बहुत तेज हो गया। अर्थात् वर्तमान लोक-जीवन दूसरा ही हो चला है, आज लोक साहित्य का मूल स्वरुप उन्हीं क्षेत्रों में ढूंढ़ा जा सकता है, जहाँ अभी अर्थ व राजनीति के साथ सम्बंध व मूल्य नहीं बदले हैं या आधुनिकता का प्रभाव कम पहुँचा है।

तेज प्रकाशचन्द्र* एवं निशा**

एक समय विश्व का समूचा समुदाय प्रकृति का उपासक था, और प्राकृतिक जीवन–यापन करता था, तब उसके आचार–विचार, रहन–सन, सहज व स्वाभाविक था। आडम्बर व कृत्रिमता से बहुत दूर था, स्वाभाविकता की गोद में पलता था। चित्त, आह्लाद व मनोरंजन के लिए साहित्य की रचना तब भी होती थी, आज भी होती है। परन्तु दोनों युगों के साहित्य में जमीन आसमान का अन्तर था।

लोक साहित्य आदिकाल से मौखिक रूप से चला आ रहा है, प्राचीनकाल में वेदों की परम्परा भी मौखिक ही थी, परन्तु लोक सहित्य आज भी मौखिक रूप से ही सुरक्षित है। लोक साहित्य या गाथा तभी तक सुरक्षित रहता है, जब तक वह मौखिक रूप में उपलब्ध होता है। लिपिबद्ध करने पर उसकी प्रगति रूक जाती है। इस सन्दर्भ में सिजविक का कथन नितान्त सत्य है कि यदि किसी लोक साहित्य या गाथा को आपने लिख लिया, तो निश्चित समझिये कि आपने उसकी हत्या करने में अपना योगदान दे दिया। जब तक तक वह मौखिक है, उसमें जीवन है, अन्यथा नहीं।[1] **गुमर** ने लिखा है कि मौखिक परम्परा किसी भी लोक साहित्य की प्रधान कसौटी है।[2]

भारत में लोक साहित्य की परम्परा अति प्राचीन है। लोक साहित्य के बीज हमारे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में पाये जाते हैं। इसी तरह कहीं–कहीं वैदिक सूत्रों में भी पाये जाते हैं। यह परम्परा महाभारत काल में भी अक्षुण रूप से दिखाई देती है। इसी तरह वाल्मिकी रामायण में राम के जन्म के समय या श्रीमद् भागवत गीता में श्रीकृष्ण के जन्म के समय महिलाओं द्वारा गए मनोरंजन गीतों का वर्णन मिलता है।[3] इन उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय लोक साहित्य की परम्परा अति प्राचीनकाल से आज तक अवाध गति से चली आ रही है।

उक्त संदर्भ में उत्तरांचल (उत्तराखण्ड) की भी विशिष्ट पहचान है, जो अपनी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक साहित्य के लिए विख्यात है। इस लोक साहित्य में स्थानीय भूगोल, इतिहास, संस्कृति, समाज, अर्थ और राजनीति आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही भिन्न–भिन्न जाति व समुदाय जो समय–समय पर आकर बसे जैसे हिन्दू, द्रविण, कोल, किरात, भेट, तिब्बती तथा हूण आदि संस्कृतियों के तत्वों को भी गहरा प्रभाव है। इस प्रकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भषाई आधार पर यह अपने विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। यह सभी प्रभाव अतीत से वर्तमान तक यहां से लोक सहित्य में प्रतिबिम्बित एवं अभिव्यक्त होता है।[4]

किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति, साहित्य व उसकी मौखिक परम्पराओं को जानने के लिए उसके विविध पक्षों को तलाशना आवश्यक है, अर्थात् भूगोल, इतिहास, समाज, राजनीति, अर्थ, जाति, जातीय अन्तविरोध, धर्म, संस्कार, देवी–देवता, मूर्तियाँ, मन्दिर, त्योहार, उत्सव, मेले, लोकगीत, लोककला, लोक अभिनय, बच्चों के खेल, मुखौटे, पत्तों के उपकरण, जादू–टोना और चित्रकला व उसके पीछे लोक कथन या मान्यता को भी समझना होगा, तभी किसी भी लोक विरासत का सही रूप सामने आ सकता है।

परन्तु यहाँ हम लोक साहित्य की उक्त विविध विद्याओं में न जाकर सिर्फ कुमाऊँ के लोक साहित्य में महिलाओं की भूमि को देखने का प्रयास कर रहे हैं। देश के अन्य क्षेत्रों की भांति कुमाऊँ में भी लोक साहित्य व गीतों की परम्परा बहुत पुरानी रही है। जिनमें लगभग पुरूषों के साथ महिलाओं की भूमिका मुख्य रहती है, परन्तु उनका मूल स्वरूप आज परिवर्तित हो चुका है। कुमाऊँ का लोक साहित्य जिसमें महिलाओं की सहभागिता आज भी बरकरार है वह मुख्यतः संस्कार गीत, नृत्य गीत, जागर, हुडकिया बौल, झौड़ा, चांचरी, छपेली, ऋतु गीत, होली गीत, देवी देवताओं सम्बन्धी गीत और कृषि गीत आदि है।[5]

****शोध छात्र (वाणिज्य विभाग), राधेहरि राजकीय स्ना.महाविद्यालय, काशीपुर (उत्तराखण्ड)***
****शोध छात्रा (इतिहास विभाग), डी.एस.बी.परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)***

स्थानीय धार्मिक, लोक नृत्य व गीतों में वह पुरूषों के साथ मिलकर अपने मनोभावों की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति करती है, महिलाओं की इस विशिष्ट सामाजिक भागीदारी के कारण यह विशेषता यहाँ के लोक साहित्य में परिलक्षित होती है।[6] नित्य प्रति कार्य जैसे कृषि, चारा, ईंधन, पशु–पालन और चूल्हे चौकी में व्यस्त रहना उनकी नियमित बनी रहती है। इन परिस्थितियों के बीच स्थानीय लोक साहित्य में महिलाओं की भूमिका के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे जागर, हुडकिया बौल मालूशाही, रमौल, भड़ौ (वीरगाथा) एवं अन्य लोक गीत, नृत्य या अन्य मौखिक परम्पराओं में महिलाओं की भूमिका आदि।

कुमाऊँनी लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष जागर परम्परा है। जागर का आयोजन स्थानीय समाज द्वारा सुख या दुःख के समय स्थानीय या सार्वभौमिक देवी–देवताओं की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है, जिसमें पुरूषों की तरह महिलाओं के शरीर में भी एक निश्चित देवी या देवताओं का अवतरण होता है। इस सम्पूर्ण आयोजन में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, जैसे जिस स्थान पर इसका आयोजन होता है, उस स्थान की सफाई हो या आयोजन की व्यवस्था करना या देवता का शरीर में अवतरण हो इत्यादि।[8] इन कार्यो में महिलाओं की भूमिका रहती है।

जागर के आयोजन में अधिकांशतः जगरिया (लोक गायक) के साथ ह्योवार पुरूष ही होते हैं, परन्तु अनेक स्थानों पर जगरिये के साथ ह्योवार के रूप में महिलाओं को भी देखा जाता है, जैसे मशहूर लोक गायक गोपीदास के साथ महिला ह्योवार हुआ करती थी।[9] लोक गायक झुसिया दमाई के साथ भी महिलाएँ ह्योवार रहती है।[10] जागर आयोजन में ह्योवार ही लोक गायक के मुख्य सहायक होते हैं। ह्योवार के इस कार्य को महिलाएँ बखूबी निभाती हैं।

प्रारम्भ से ही कुमाऊँ में विभिन्न सार्वभौमिक एवं स्थानीय देवी देवता की पूजा परम्परा रही है। सार्वभौमिक अनेक मातृका पूजा का अस्तित्व भी कुमाऊँ में दृष्टिगोचर होता है। इनकी ऐतिहासिकता हड़प्पा सभ्यता तक सिद्ध होती है। इन मातृ देवियों के मन्दिर भी यहाँ स्थापित है, जैसे सैलपट्टी स्थित वैष्णवीं मन्दिर, सिलौटी छखाते में नारायणी का मन्दिर और देवीधूरा वाराही का मन्दिर आदि। इनके अतिरिक्त स्थानीय देवियों में नंदा, कोटगढ़ी और ऐड़ी आदि है।[11]

जागर के आयोजन व उसकी गायन प्रक्रिया में महिला एक ओर उसमें सहभागी होती है, दूसरी ओर विषयवस्तु। जैसे– लोक गायक शिव पुराण में राजा प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव एवं पार्वती का गायन करता है, जिसमें पिता–पुत्री और पति–पत्नी के सम्बन्ध तथा पार्वती द्वारा आत्मदाह का वर्णन होता है।[12]

ऋतुरेण गीतों में भी महिला का माता–पिता, भाई–बहिन और मायके से प्रेम तथा प्रवास में रह रहे पति विछोह के भाव अभिव्यक्त होते हैं। यह ऋतुरैण गीत बसन्त आगमन पर महिला पुरूष दोनों के द्वारा मिलकर गाँव–गाँव गाये जाते थे, जो वर्तमान में लगभग समाप्ति की ओर इसके अतिरिक्त सास द्वार बहू पर किए जाने वाले जुल्मों को भी यहाँ के लोक गीतों में देखा जा सकता है। साथ ही जीजा–साली, देवर–भाभी का परस्पर आकर्षण व एक–दूसरे से छेड़छाड़ की उत्सुक्ता पाई जाती है।[13] इस तरह के लोक गीत भी महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ जागर गाथाएँ महिला–पुरूष सम्बन्धों को लेकर ही गाए जाते हैं, जैसे स्थानीय देवता गंगानाथ के जागर में भाना बामड़ी व गंगानाथ के प्रेम सम्बन्ध और फिर उनकी परिणति को लेकर गाया जाता है, वहीं कस्तूरी शासकों के जागर में राजूला–मालुसाही के प्रेम सम्बन्धों का गायन होता है। रमौल गाथा को दो भाई सिदू–बिदू व बिरौरा व सुरीजा के मध्य प्रेम सम्बन्ध तथा आंचरियों के साथ बहिन के सम्बन्धों को लेकर गाया जाता है या हरू देवता को अविवाहित कालीनर का पुत्र के रूप में फिर कल बिष्ट–कौगां पाण्डे के प्रेम सम्बन्धों को लेकर आदि अनेक गाथाएँ पाई जाती हैं।[14] हुड़किया बौल धान की रोपाई में लगाया जाता है, जिसमें महिलाएँ कृषि गीत समवेत रूप से गाती हैं। एक बार हुड़किया (लोकगायक) गाता है, फिर सभी महिलाएँ हुडकिया के ही स्वर में उस पंक्ति को दोहराते हैं और झुककर धान की पौध भी लगाती रहती है तथा अन्य पुरूष हलिया, बौसिया आदि खेतों को तैयार करते हैं।[15]

कुमाऊँनी लोक जीवन में तीज–त्योहार और पर्व उत्सवों का भी विशेष महत्व है, जो स्थानीय लोक जीवन की रीति–रिवाज, धर्म, कर्म हर्ष और उल्लास के द्योतक होते हैं, जिनमें आमोद–प्रमोद एवं मनोरंजन का भाव भी विद्यमान रहता है। यहाँ वर्षभर अनेक व्रत, उत्सव, पर्व, त्योहार होते रहते हैं।[16] इनमें महिला एवं पुरूष समान रूप से सम्बद्ध रहते हैं, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है :

भिटौली : हिन्दू संस्कृति में जिस प्रकार रक्षा बन्धन का महत्व है। उसी प्रकार कुमाऊँ में भिटौली का महत्व है जो चैत्र मास (मार्च–अप्रैल) में बहिन या पुत्री को भाई या पिता द्वारा दी जाने वाली भेंट है। जिसमें अनेक पकवान व कपड़े दिए जाते हैं। इस परम्परा में भाई–बहिन, पिता–पुत्री का अटूट प्रेम प्रदर्शित होता है।[17]

स्याल्दे–बिखौती : यह मेला या उत्सव विश्व संक्रान्ति के दिन होता है। इस दिन थल, स्याल्दें द्वाराहाट, विमाण्डेश्वर, लोहारखेत, चौगड़ आदि स्थानों में व्यापक स्तर पर मेले लगते हैं। मुख्य मेला द्वाराहाट व विमोण्डेश्वर में लगता है, जिसमें लोक गायक, नर्तक–नर्तकियों के झुण्ड के झुण्ड नगाड़ों व हुड़कों की थाप पर गाते बजाते व नृत्य करते दिखायी देते हैं। महिलाएँ एवं पुरूष एक झोड़े गाते है, जिनमें अतीत से वर्तमान तक के सन्दर्भ सुनने को मिलते हैं।[18]

कंडाली पर्व : यह पर्व जिला पिथौरागढ़ के चौदास घाटी में प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुम्भ की तरह मनाया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव में शौका शौर्य परम्परा अभिव्यक्त होती है। इस पर्व में महिला व पुरूष दोनों भाग लेते हैं। अपने शौर्य तथा युद्ध नृत्य को प्रदर्शित कर सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। महिलाएँ अपनी पारम्परिक वेशभूषा च्यूंकला आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथ में तलवारनुमा रिल (कपड़ा बुनने का लकड़ी का यंत्र) लिए होती हैं। पुरूष भी अपनी रंगा–यैले पौषाक पहने ढाल तलवार लिये देवस्थल में पूजा कर कंडाली नामक पौधे की ओर जाते हैं। पौधे के निकट पहुँचने पर नगाड़ों की धुन के साथ महिला–पुरूष रिल, ढाल, तलवार व आंसी आदि हथियारों से कंडाली पौधे को तहस–नहस करते हैं। इस पर्व के पीछे धारणा है कि एक महिला के पुत्र की इस पौधें के विषैले फूल खाकर मृत्यु हो गयी थी। बाद में मान्यता बन गयी थी कि इस फूल से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे नष्ट करना आवश्यक है। दूसरी धारण है कि एक

बार कश्मीरी राजा के लद्दाखी सेनापति ने इस क्षेत्र के महिला राज्य पर आक्रमण किया था। पराजित होने पर उसके सैनिक कंडाली पौधों के नीचे छिप गए और पुनः महिला राज्य पर आक्रमण कर दिया, परन्तु पुनः रड़ महिलाओं ने उन सैनिकों को पराजित कर दिया, तब से इस पौधे को नष्ट करने के उद्देश्य से इस पर्व को मनाया जाता है।[19]

झोड़ा : इस सामूहिक झोड़ा नृत्य में कुमाऊँ की प्रत्येक जाति के लोग स्थान व विषेष अवसरों पर एकत्रित होकर भागीदारी करते है। वृत्ताकार घेरा बनाकर तथा एक–दूसरे के कन्धे में हाथ रखकर धीमें व सरल पद संचालन के साथ लोक गीत गाते हैं।[20] सभी लोग उन गीतों के बोलों को दोहराते हैं, जिन्हें मुख्य गायक या गायिका गाते हैं।[21] झोड़ों की अलग–अलग विषयवस्तु होती है, जैसे– धार्मिक, भावमूलक, रोमांटिक, समसामयिक और ऐतिहासिक आदि।[22]

धार्मिक झोड़ों में किसी स्थान विशेष अवसर, विशेष देवी–देवताओं का स्मरण, पूजा आदि की भावनायें अभिव्यक्त होती है।

भावमूलक झोड़ों में महिला–पुरूष गायकों का उद्देश्य मनोरंजन और कौतूहल उत्पन्न करना होता है। जिसमें सभी लोक जीवन के कठोर पक्ष को क्षणभर के लिए भूलकर आमोद–प्रमोद में मग्न हो जाते है।[23] इस प्रकार भावनात्मक अनुभूति, प्रवणता, उल्लास, उमंग एवं मनोरंजन की प्रधानता रहती है। कुछ झोड़ों में पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण होता है।

चांचरी : चांचरी को झोड़ों का एक भिन्न रूप कहा जा सकता है। सामान्य शब्दों में इसे झोड़ा भी कहा जाता है। इसमें पाद संचालन झोड़ों से भिन्न होता है तथा स्वरों के आरोह–अवरोह में भी भिन्नता होती है, चांचरी नृत्य गान में पाँच–सात से लेकर दो–ढाई सौ तक महिला–पुरूष सम्मिलित हो सकते हैं।

यह मुख्य मेलों का सामूहिक नृत्य गीत है। विभिन्न उत्सवों, त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर इसका आयोजन होता है। नृत्यगीत होने के कारण चांचरी में गति व पद क्रम विशेष महत्व होता है। स्वर समायोजन में मधुरता रहती है। ये गीत मुख्य गायकों के मध्य प्रश्नोत्तर के रूप में भी पाये जाते हैं। जैसे :

पुरूष : *सुबेदारै कि चेलि बसंती दयो लोगो नैनीताला।*
स्त्री : ***रामलाला का च्याल दिवाना यो बाटा कब आला।***[24]

आज कुमाऊँ का उक्त लोक साहित्य या परम्पराएँ निरन्तर पतन की ओर अग्रसित हैं। यद्यपि आधुनिक महिला के रहन–सहन एवं ओढ़ी हुई मानसिकता में स्वाभाविकता की अपेक्षा चमत्कारिता अधिक है, जबकि कुमाऊँनी महिलाओं का रहन–सहन व जीवन के प्रति दृष्टिकोण सहज है। कुमाऊँनी समाज पुरूष प्रधान माना जाता है, परन्तु यहाँ का लोक साहित्य व उसके विभिन्न पहलू धार्मिक, सामाजिक, कृषि या श्रमगीत, उत्सव, पर्व–त्योहार आदि सभी में महिलाओं की अभिन्न रूप में भूमिका रहती है।

आधुनिक काल में इस लोक जीवन की परम्पारिक स्वच्छता टूटने लगी है। स्वाधीनता के पश्चात् तो उसके टूटने का क्रम बहुत तेज हो गया। अर्थात् वर्तमान लोक जीवन दूसरा ही हो चला आज लोक साहित्य का मूल स्वरूप उन्हीं क्षेत्रों में ढूंढा जा सकता है, जहाँ अभी अर्थ व राजनीति के साथ सम्बन्ध व मूल्य नहीं बदले हैं या आधुनिकता का प्रभाव कम पहुँचा है।

सन्दर्भ :

(1) फ्रेंक, सिजविक (1915) : द बलाड (द आर्ट एण्ड क्राफ्ट आफ लेटर सिरीज), पृष्ठ 39 एवं उपाध्याय, कृष्ण देव (1992) : लोक साहित्य की भूमिका, पृष्ठ 100.

***(2)** गूमर, एफ0 बी0 (1992) : ओल्ड इंगलिश वेलेट्स, पृष्ठ 29.*

***(3)** उपाध्याय, कृष्ण देव (1992) : लोक साहित्य की भूमिका, पृष्ठ 23–27.*

***(4)** विष्ट, शेर सिंह (1992) : साहित्य एवं संस्कृति, चिन्तन के आयाम, पृष्ठ 132.*

***(5)** भट्ट, दिवा (1998) : उत्तराखण्ड की लोक साहित्य परम्परा, पृष्ठ 13.*

***(6)** पाण्डे, त्रिलोचन (1977) : कुमाऊँनी भाषा उसका साहित्य, पृष्ठ 23.*

***(7)** पोखरिया, देव सिंह (2000) : कुमाऊँनी संस्कृति पृष्ठ 4.*

***(8)** रिकार्डिग एवं साक्षात्कार : लोकगायक भुवन चन्द्र दास ग्राम–कोटिला, द्वाराहाट (दिनांक 3–4–2000) एवं रामी राम, बुडलागांव, भड़कटिया, पिथौरागढ़ (दिनांक 3–7–2000).*

***(9)** ओकले एवं गैरोला (1979) : हिमालयन फोकलोर, पृष्ठ XIII.*

***(10)** रिकार्डिग एवं साक्षात्कार : लोकगायक झुसिया दमाई, ढुंगातोली, धारचूला, पिथौरागढ़ (दिनांक 11–01–1986).*

***(11)** पंत, संजय (1988) : कुमाऊँ में प्रचलित जन मान्यतायें एक ऐतिहासिक अध्ययन (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध), कु0वि0वि0 नैनीताल पृष्ठ 81–102.*

***(12)** रिकार्डिग एवं साक्षात्कार : लोकगायक मोतीराम, पाटिया, अल्मोड़ा (दिनांक 10–05–1986) एवं जोगा राम, पाटिया, अल्मोड़ा (दिनांक 11–05–1986) तथा स्मारिका : अल्मोड़ा 1973.*

***(13)** स्मारिका : अल्मोड़ा, 1973, पृष्ठ 17.*

***(14)** रिकाडिंग एवं साक्षात्मकार : लोकगायक, मोती राम, पाटिया, अल्मोड़ा (दिनांक 10–05–1986) एवं हर राम, बसभिड़ा, अल्मोड़ा (दिनांक 05–08–1986) तथा प्रेम राम, बनौड़ा, अल्मोड़ा (दिनांक 22–10–1986).*

***(15)** शाकुनी, हीरा सिंह (1988) : कुमाऊँ की मौखिक लोक काव्य परम्परायें जागर और हुड़किया बौल, पृष्ठ 62–65. अप्रकाशित।*

***(16)** पोखरिया, देव सिंह (2000) : कुमाऊँनी संस्कृति, पृष्ठ 29.*

***(17)** पाठक, शेखर एवं साह, अनूप (1993) : कुमाऊँ, हिमालया टेम्पटेशन, पृष्ठ 36.*

***(18)** पाठक, शेखर एवं साह, अनूप (1993) : कुमाऊँ, हिमालया टेम्पटेशन, पृष्ठ 41.*

***(19)** पाठक, शेखर : पहाड़ छः, पृष्ठ 109.*

***(20)** पाठक, शेखर एवं साह, अनूप (1993) : कुमाऊँ, हिमालया टेम्पटेशन, पृष्ठ 45–46.*

***(21)** पोखरिया, देव सिंह : पाठक, शेखर एवं साह, अनूप (1993) : कुमाऊँ, हिमालया टेम्पटेशन, पृष्ठ 42 एवं भट्ट, दिवा (1998) : उत्तराखण्ड की लोक साहित्य परम्परा, पृष्ठ 38.*

***(22)** पाण्डे, त्रिलोचन (1977) : कुमाऊँनी भाषा उसका साहित्य, पृष्ठ 44.*

***(23)** उपरोक्त, पृष्ठ 191.*

***(24)** पोखरिया, देव सिंह : पाठक, शेखर एवं साह, अनूप (1993) : कुमाऊँ, हिमालया टेम्पटेशन, पृष्ठ 34–35.*

❁❁

UGC Approved Journal
- Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 123-124
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

उत्तराखण्ड राज्य की विकासखण्ड भिलंगना में प्रचलित लोकगीत - एक सांस्कृतिक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र, उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख विकासखण्ड भिलंगना में प्रचलित लोकगीतों के सांस्कृतिक अध्ययन से सम्बंधित है। इसमें इस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीतों, नृत्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मानव समाज के किसी भी समुदाय का सांस्कृतिक अध्ययन तब तक पूरा नहीं माना जा सकता है, जब तक उस समाज की मूलभूत परम्पराएँ, विश्वास, साहित्य, लोक संस्कृति का वर्णन न किया जाए, क्योंकि संस्कृति ही एक ऐसा सामाजिक मूलभूत तत्व है, जो उस समाज, समुदाय के अंतःभाव को प्रदर्शित करती है। लोकगीत जीवन के बीच से ही उपजते हैं। वे बनाये नहीं जाते, लोकगीत केवल व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, बल्कि वे उन असंख्य कंठों के हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे एक साथ गाये जाते हैं। लोकगीत मानसिक तनाव तथा सामाजिक तनाव को कम करते हैं।

डॉ.सोना पैन्यूली* उनियाल एवं कृष्णचन्द नेगी**

हिमालय के पाँच खण्डों में एक खण्ड केदारखण्ड माना गया है। यही केदारखण्ड आधुनिक गढ़वाल है। विश्व मानचित्र को ध्यान में रखते हुए एवं ग्लोबल की स्थिति के अनुरूप गढ़वाल हिमालय जिसे प्राचीन समय में ''गढ़ प्रदेश'' के नाम से जाना जाता था, 29^0–26^0 एवं 31^0–28^0 उत्तरी अक्षांश तथा 77^0–49^0 एवं 80^0–60^0 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। विकासखण्ड भिलंगना टिहरी जनपद के अन्तर्गत आता है, जो कि टिहरी शहर से 37 किमी पूर्व उत्तर की ओर फैला है। टिहरी जनपद भौगोलिक मापदण्डों के आधार पर 29^0 उत्तरी अक्षांश तथा 78^0 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

किसी भी मानव समुदाय का अपने व्यस्त जीवन में कुछ न कुछ मनोरंजन के साधन अवश्य होते हैं, जिससे वह समुदाय अपने व्यस्त सांसारिक जीवन में आनन्द की अनुभूति करता है। इन्हीं मनोरंजन के साधनों में लोकगीतों का भी विकासखण्ड भिलंगना में महत्वपूर्ण योग्यदान है।

लोकगीत जीवन के बीच से ही उपजते हैं। वे बनाये नहीं जाते लोकगीत केवल व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, बल्कि वे उन असंख्य कंठो के हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे एक साथ गाये जाते हैं। लोकगीत मानसिक तनाव तथा सामाजिक तनाव को कम करते हैं। **सत्यवती शर्मा** कहती है ''संगीत प्रत्येक स्थिति में प्रणय प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण आधार है''। यदि मनोवैज्ञानिक आधार पर संगीत के महत्व को समझने का प्रयत्न किया जाए तो स्पष्ट होता कि संगीत व्यक्ति के मन को सबसे अधिक नियंत्रित करता है।[1] गीतों का नामकरण धर्म, संस्कार, ऋतु, नृत्य, अनुष्ठान आदि के आधार पर हुआ है। विभिन्न गीतों के नामकरण के पीछे विभिन्न तत्वों की प्रमुखता दिखाई देती है।[2] उदाहरण के लिए चौफुला, थडया, झुमैलो, छौपति आदि गीतों का नामकरण उनसे संबन्धित नृत्यों के कारण हुआ है। चौफला एक मण्डलाकार नृत्य होता है। इसी प्रकार थाड अर्थात् आंगन में संपादित नृत्य थडया कहलाता है।[3] झुमैलो बसंत ऋतु के अवसर पर झूम–झूम कर नाचा जाने वाला स्त्री नृत्य है।[4] दूसरी और बसंत चैती, बारामासी, होली हरियाली आदि गीतों का नामकरण ऋतु के आधार पर हुआ है।[5]

इसी प्रकार देवी देवताओं की नृत्यमयी उपासना के गीत जागर कहलाते हैं।[6] गढ़वाल हिमालय के विकासखण्ड भिलंगना में निम्न प्रकार के लोकगीत गाये जाते हैं :

(1) धार्मिक लोकगीत : धार्मिक लोकगीत प्रायः धार्मिक उत्सवों में गाये जाते हैं। विकासखण्ड भिलंगना के लोग जब अपने–अपने ईष्ट देवता की जात देते हैं, तो पूरी रात मन्दिर में ही रहते हैं। रात भर पूजा व डोली नचाई जाती है, जिसे 'जतराडा' कहते हैं। जतराडा में देवता के गीत गाये जाते हैं, जिसे ''धाकुलिया'' गीत कहा जाता है। इसमें एक पंक्ति आगे से स्त्रियों की बनी होती है तथा पीछे से दूसरी पंक्ति पुरुषों की बनी होती है। इन दोनों पंक्तियों के लोग अपने–अपने पास के व्यक्तियों की दोनों हाथों से कमर पकड लेते हैं तथा धाकुलियां गीत के बोल एक बार पुरुष गाते हैं और दूसरी बार स्त्रियाँ गाती हैं। ये लोकगीत भक्तिभाव से भरे होते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं:

(क) जागर : जागर में प्रत्येक देवता का आह्वान, पूजा एवं नृत्य होता है। जागर को जागरण देव गाथाएँ भी कहते हैं। जागर में दवताओं को गीतों के माध्यम से जागृत किया जाता है, जिससे वे खुश होकर नृत्य करने लगते हैं।

*सहायक प्राध्यापक (मानवविज्ञान विभाग), बालगंगा महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी-गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
**चित्रकला विभाग, बालगंगा महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी-गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

(ख) मृत अशान्त आत्मा के गीत : इसमें मृतक की आत्मा को शांत करने के लिए अत्यन्त कारुणिक गीत गाये जाते हैं और डमरु तथा कांस की थाली के स्वरों में नृत्य का बाजा बजाया जाता है, इसे ''घडियालु'' भी कहते हैं।

(ग) पनौ : इसमें पाडवों को देवता मानकर समस्त पांडवों की कथा को जागर के रूप में गाया जाता है।

(2) सामाजिक लोकगीत : जीवन के मांगलिक पक्ष और संस्कारों से सम्बन्धित सभी लोकगीत मांगल कहलाते हैं, अतः सोलह संस्कारों के गीत मांगलों के अन्तर्गत आते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैंः

(क) पुत्र के जन्म तथा नामकरण के गीत : इसमें कोई विशेष गीत तो नहीं गाये जाते, परन्तु इष्ट देवता की स्तुति की जाती है।

(ख) चूडाकर्म के गीत : इस प्रकार गीत में गणेश स्तुति के साथ सुफल की भी कामना मुख्य होती है।

(ग) विवाह गीत : सामान्यतः विवाह गीत मांगल कहलाते हैं। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियाँ देवताओं से शुभ कार्यों के लिए प्रार्थना करती हैं। ये मांगल वर और वधु दोनों के घर गाये जाते हैं। ये मांगल गीत बेदी बनाते समय, पूजा करते समय, मंगल स्नान करते समय, बारात का स्वागत तथा तिलक लगाते समय, फेरे फेरते समय, कन्यादान करते समय, गाये जाते हैं। इन मांगल गीतों मे गणेश, शिव देवी माँ तथा विष्णु भगवान की स्तुति की जाती है। जैसे कि :

उदाहरण : ***जो जसे देलू................खोली का गणेश हे´***
जो जस देलू.................मोरी का नारैण हे।

(3) सामान्य लोकगीत : सामान्य लोकगीत ऋतु पर्वों पर आधारित है। इनकी उत्पत्ति ऋतु पर्व और ऋतु गीतों की लोक परम्परा से ही हुई है। ये निम्न प्रकार के हैं :

(क) बंसत गीत : बसन्त ऋतु के आगमन के अवसर पर गढ़वाल पर्वतों हिमालय के पर्वतों की घाटियों में जब नवीन पुष्प खिलते हैं, तब ये गीत गाये जाते हैं। इन गीतों का मुख्य विषय वृक्ष, फूल एवं गीत वन्य शोभा होती है। बसंत लोक जीवन में उठते यौवन और फलते–फूलते दामपत्य सुख का प्रतीक है। ये गीत बसंत ऋतु के आगमन पर गाये जाते हैं।

(ख) चैती गीत : ये गीत चैत के महीने में गाये जाते हैं। इस समय अविवाहित लडकियाँ घरों की देहलीज पर फूल डालती हैं। इस पूरे महीने औजी तथा बेड्डा ढोल दमाऊँ बजाते तथा नाचते हुए सबके घरों से अनाज मांगते हैं। जिसे चैती–पसारा भी कहते हैं।

(ग) चौमासा गीत : हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल में वर्षा ऋतु का सौन्दर्य बहुत ही मनमोहक होता है। ये गीत सावन भावों में गाये जाते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर कोहरा लगा होता है। उस समय विकासखण्ड भिलंगना का दृश्य बहुत ही स्मरणीक होता है। इन गीतों में नदी–नालों पर्वत, आदि का वर्णन होता है।

(घ) खड़ा गीत : ये गीत सामान्यतः अश्विन माह में गाये जाते हैं। इसमें एक पंक्ति में स्त्रियाँ तथा दूसरी पंक्ति में पुरुष आपस में हाथों से बंधे होते हैं तथा बारी–बारी से गीत गाते हैं। भादों एवं अश्विन के महीने में मौसम का बदलता मिजाज एक तरफ गर्मी जा रही होती है। दूसरी तरफ सर्दी आ रही होती है। इस मौसम में चन्द्रमा की शीतल चांदनी सी रात इस प्राकृतिक सौन्दर्य में खडे गीत के सुर ताल भरी आवाज विकासखण्ड भिलंगना के लोगों में चार चांद लगा देती है।

(ङ) प्रेम गीत तथा खुदेड़ गीत : इस प्रकार के गीत विवाहित स्त्रियाँ जंगल में घास तथा लकडी काटते हुए अपने मायके वालों की याद में तथा रोजगार के लिए परदेश गए अपने पति की याद में गाती है। ये गीत मन को संतोष रखने एवं मनोरंजन हेतु गाये जाते हैं।

उदाहरण : ***ऊँची डाण्डयों कांठयों माँ, कु हौली गैरी गदन्यों माँ***
घास लाखड्‌ू को जोलू रंगीला जंगलू माँ।
रोलू गैल्यों का गैल माँ, खुद्‌योलू, रोलू पाख्यों माँ।
आँखी तर–तर रोणी रली, घुघती बासी डांड्यों माँ

(च) दोहा : घास तथा लकड़ियों के लिए जंगलों में स्त्रियाँ अपनी सहेलियों के साथ जाती हैं। वहाँ अपने मन के मनोरंजन के लिये दोहा गीत गाती है। एक तरफ से एक स्त्री गीत गाती है, तो दूसरी तरफ से दूसरी स्त्री उन गीतों का उत्तर अपने गीतों के माध्यम से देती हैं। इन दोहा गीत में स्त्रियों के अपने–अपने दुख दर्द के भाव होते हैं।

उदाहरण : ***घोडी कू कमर ले, दुनिया न मरी जाण,***
बल धरती अमर.................बल कै मा बोल दों.....
झांझी कू मखन, बल दुनिया न मरी जाण,
गैल्या क्या ल्याण यखन, त्वैमा बोली बौ..............

(छ) चौफला गीत : इस प्रकार के गीत को स्त्री पुरुष गोल घेरे में घूमकर गाते हैं। इन गीतों में कभी–कभी डंडी का भी प्रयोग किया जाता है। यह गुजरात के गरबा नृत्य के समान है।

(ज) झुमैलो गीत : ये गीत बसंत ऋतु के अवसर पर झूम–झूम कर नाचा जाने वाला स्त्री नृत्य है। इसमें स्त्रियाँ एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर नृत्य करती हैं।

(झ) थड्या गीत : ये गीत बसंत पंचमी से लेकर बिखोती संक्रान्ति तक गाये जाते हैं। इसमें गायक गायिकाएं गोल घेरे में 2 कदम आगे तथा 2 कदम पीछे लौटकर एक–दूसरे के कमर में हाथ डालकर नाचते तथा गाते हैं।

(ञ) पंवाडे गीत : गढ़वाल क्षेत्र के ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की कथाएँ इस नृत्य गीत के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। ये वीरगाथा काल के गीत हैं।

<u>सन्दर्भ</u> :

(1) शर्मा, सत्यवती (1995) : ''संगीत का समाजशास्त्र'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ 170.

***(2)** चातक, गोविन्द (1954) : ''गढवाली लोकगीत'', जुगुल किशोर एण्ड ब्रदर्स, देहरादून, पृ 14.*

***(3)** चातक, गोविन्द (1973) : ''गढ़वाली लोकगीत : एक सांस्कृतिक अध्ययन'', विद्यार्थी प्रकाशन, दिल्ली, पृ.49.*

***(4)** चातक, गाविन्द (1990) : ''लोक संस्कृति का सदर्भ – मध्य हिमालय'', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 60.*

***(5)** चातक, गोविन्द (1996) : लोक गाथाएँ'', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 94.*

***(6)** चातक, गोविन्द (2001) : ''गढवाली लोकगीत विविध,'' तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 50.*

UGC Approved Journal
- Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 125-126
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

सौर ऊर्जा, भारत में आर्थिक प्रगति की अक्षय उम्मीद

प्रस्तुत शोधपत्र में ऊर्जा के पारंपरिक साधनों से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्त्रोत सौर ऊर्जा के बढ़ते हुए महत्व पर चर्चा की गई है। धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और भविष्य में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता ने विश्व का ध्यान ऊर्जा के इस अक्षय स्त्रोत की तरफ आकर्षित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए खतरे ने भी लोगों के सिर पर चिंता की रेखाएँ अंकित कर दी हैं। प्राचीन काल से सूर्य को शक्ति का केन्द्र माना जाता रहा है। सूर्य, शक्ति और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत होता है। धरती पर होने वाले परिवर्तनों के विभिन्न कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण सौर ऊर्जा होती है। विश्व के कई देश पारंपरिक स्त्रोतों से हटकर ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों का महत्व समझने लगे हैं।

राजकुमार गंभीर* एवं डॉ.पी.सी.अग्रवाल**

प्रस्तावना :

सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित होने के साथ–साथ प्रदूषण–रहित तथा अक्षुण्ण है। सम्पूर्ण भारतीय भू–भाग पर 5 हजार लाख करोड किलो वाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है, जो कि विश्व की सम्पूर्ण विद्युत खपत से कई गुना अधिक है। साफ मौसम अर्थात धूप वाले दिनों में औसत सौर ऊर्जा का प्रतिदिन संपात 4 से 6 किलो वाट घंटा प्रति वर्गमीटर तक का होता है। देश में वर्ष के कुल 365 दिनों में से 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं, जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन भर उपलब्ध रहती है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा के इस स्रोत का उपयोग उचित दिशा की ओर ले जाकर प्रगति के नए रास्ते खोजे जा सकते हैं।

भारत में सौर ऊर्जा का विकास :

हालांकि ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों के उपयोग के संबंध में बहुत पहले से योजनाएँ बनाई जा रही थी, किन्तु उनका परिपालन यथासंभव नहीं हो पा रहा था। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई 2009 में भारत में 19 बिलियन डालर की एक योजना प्रस्तावित हुई थी, जिसके अंतर्गत 2020 तक देश में 20 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। यह एक परिकल्पना है कि भारत के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो।

इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि जीवाश्म ईंधन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को धीरे–धीरे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विकास की ओर ले जाया जाये तथा परंपरागत ऊर्जा पर निर्भर रहने के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तरफ अपने कदम बढ़ाएँ जाएँ।

भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के विकास और उसके आधार पर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए ''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन'' की शुरूआत की है, जिसे सोलर इंडिया के ब्रांड नाम के तहत शुरू किया गया है। इस मिशन के उद्देश्य देश भर में सौर ऊर्जा को यथाशीघ्र प्रसारित करने की नीति और स्थितियों का निर्माण कर भारत को विश्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर बैठाना है। राष्ट्रीय सौर मिशन अपने निर्धारित उद्देश्य को तीन चरणों में पूर्ण करेगा। जिसमें प्रथम चरण का कार्य 11वीं योजना की शेष अवधि तथा 12वीं योजना के प्रथम वर्ष (2012–2013) को पूर्ण किया गया, इस चरण में सौर मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णरूपेण सफल रहा है। 12वीं योजना के शेष 4 वर्ष (2013 से 2017) तक दूसरा और 13वीं योजना (2017 से 2022) तक तीसरा चरण पूर्ण होगा। प्रत्येक योजना के मध्य तथा अंत में इस क्षेत्र में किए कार्यों की समीक्षा तथा प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा एवं आने वाले वर्षों के लिए ऊर्जा क्षमता, लागत तथा मूल्यों की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा घरेलू और वैश्विक दोनों प्रौद्योगिक प्रवृत्तियों और उभरती लागत पर आधारित होगी। इसका लक्ष्य यह रहेगा कि यदि आशा के अनुरूप लागत में कमी नहीं आती है या किसी भी कारणवश अधिक तेजी का सामना करना पड़ता है तो सरकार को सब्सिडी की विवशता से बचाया जाए।

भारत में ऊर्जा के लिए एफ.डी.आई. को स्वीकृति दी जा चुकी है, यह ऊर्जा क्षेत्र के लिए इसलिए आवश्यक है, क्योंकि सम्पूर्ण भारत में मांग के अनुपात में पूर्ति अपेक्षाकृत कम है, आने वाले समय में मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि एफ.डी.आई. के माध्यम से ज्यादा उच्च तकनीके उपलब्ध होंगी, जो ऊर्जा के क्षेत्र हेतु आवश्यक है।

**शोधार्थी, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***शोध-निर्देशक एवं पूर्व प्राचार्य, शासकीय जे.योगानंदम महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में दूसरे नम्बर पर आता है तथा देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि को हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यह हमेशा से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। सुविधाओं की कमी के कारण हम अभी भी कृषि की अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुँच सके हैं। उत्पादन के भंडारण तथा उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। देश में अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ विद्युत की सुविधा ना पहुँच पाने के कारण कृषि कार्यों को सुविधापूर्ण तरीके से कर पाना संभव नहीं है। देश में उगाई जाने वाली दो विभिन्न फसलों रबी तथा खरीफ का समय अलग–अलग होता है। ऐसे में मौसम कृषि के प्रतिकूल हो जाए तो इसका किसान के आर्थिक जीवन पर प्रभाव साफ परिलक्षित होता है।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई और संपूर्ण 12 महीने की कृषि के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक पायलट कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम अन्तरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, एक विशेष प्रकार के एंटीना के माध्यम से बिजली को माइक्रोवेव ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। यह एंटीना 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग आस–पास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों हेतु किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग उन सब जगहों पर किया जाना संभव होगा, जहां तक विद्युत की सीधी लाइनें ले जाना अत्यंत कठिनाई भरा है।

विश्व के महत्वपूर्ण देशों ने सौर ऊर्जा को अपनी अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता बना लिया है। अमेरिका, जर्मनी, चीन आदि देशों ने अपने देश में सोलर पावर प्लांट स्थापित करने में संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। विश्व की अर्थव्यवस्था को दो मुख्य देश अमेरिका और चीन अपनी योजना और नीतियों से हमेशा प्रभावित करते रहे हैं और अब वर्तमान में ये दोनों ही देश गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता दिनो–दिन बढ़ा रहे है। विश्व का सबसे बढ़ा सोलर पावर प्लांट कैलिफोर्निया (अमेरिका) में मोजावे रेगिस्तान में स्थित है, यह प्लांट कुल मिलाकर 1000 एकड़ में फैला हुआ है। अमेरिका के नेवाड़ा में एक एयरफोर्स बेस ने महीने भर 83000 डालर की बचत की, क्योंकि वहाँ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सोलर ऊर्जा का प्रयोग करना चालू कर दिया गया था। अंतरिक्ष से जुड़े अभियानों में स्पेसशिप को ऊर्जा देने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग वर्ष 1958 से लगातार किया जा रहा है। चीन ने भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर अपनी निर्भरता का प्रतिशत कम किया है। नवीन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के साथ–साथ वह उनसे संबंधित उत्पादों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। चीन अब तक सौर ऊर्जा उत्पादों के निर्माण में अग्रणी रहा है और उसकी निगाहें दक्षिण एशिया विशेषकर भारत के बाज़ार पर है।

ऊर्जा की मांग की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुये कुछ दशक पहले विश्व ने आण्विक ऊर्जा के उत्पादन की ओर भी कदम बढ़ाया था, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया और फिर से विश्व का रुख वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ हो गया। वैकल्पिक ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के प्रति दुनिया भर की रुचि बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की बढ़ती हुई कीमत है। जिस तेजी के साथ तेल की कीमत बढ़ रही है, उसके अनुपात में तेल की पूर्ति नहीं है तथा तेल के भंडार भी सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष क्षेत्र के पास इसकी रियासत है। तेल के साथ–साथ ऊर्जा के दूसरे अन्य परंपरागत स्रोत जैसे प्राकृतिक गैस तथा कोयले की कीमतों में भी समय–दर–समय वृद्धि होती जा रही है। इन सबसे एक बात को स्पष्ट है कि भविष्य में ऊर्जा के नए रास्ते ही सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं।

भारत में गैर–पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत विशेषकर सौर ऊर्जा के उपयोग पर लगातार कार्य योजनाएँ बनाई जा रही है किन्तु इस सम्बंध में अभी तक हालत उत्साहजनक नहीं है। देश में अभी ऊर्जा शक्ति के मामले में गैर–पारंपरिक ऊर्जा का मात्र 2.5 प्रतिशत ही प्रयोग हो रहा है। ऐसे में यह बात गौर करने योग्य है कि यदि नवीकरणीय संसाधनों का अच्छी तरह दोहन किया जाए, तो देश की ऊर्जा समस्या को जड़ से दूर करनाा ख्वाब नहीं रहेगा बल्कि हम इसे हकीकत में भी बदल सकते है। ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोत के विषय में आज भी देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है। हालांकि सौर उत्पादों के संबंध में लोगों का रुझान पहले की तुलना में बढ़ा है, किन्तु अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सौर ऊर्जा का आर्थिक महत्व समझें। वैसे भी देखा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यदि हमें अपने आर्थिक ढांचे को दुरुस्त करना है तो हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काम लेना होगा।

ऊर्जा की आवश्यकता एवं पूर्ति किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जाएँ। जिस तेजी से देश में ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही है, उस अनुपात में देश में ऊर्जा का उत्पादन नहीं बढ़ रहा हैं। मांग की अपेक्षा पूर्ति क्रमशः कम होते जा रही है। मांग को पूरी करने के उद्देश्य से परंपरागत संसाधनों का दोहन लगातार जारी है। पारंपरिक ऊर्जा के साधन सीमित है तथा निरंतर उपयोग के कारण भविष्य में ये समाप्त भी हो जाएंगे। ऐसी दशा में आज वैकल्पिक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी होगी और बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति इन्हीं के माध्यम से करने की सफल कोशिशें करनी होगी।

<u>संदर्भ</u> :

*(1) सूथा, डॉ. जी.डी. (1991) : सौर शक्ति तथा ऊर्जा, मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन पब्लिशर्स। **(2)** अवस्थी, शंभूरतन (2011) : नवीकरणीय ऊर्जा, प्रतिभा प्रतिष्ठान। **(3)** गर्ग, हरिप्रकाश (1998) : सौर ऊर्जा और उसका उपयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।*

<u>पत्रिकाएँ</u> :

*(1) अक्षय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। **(2)** इरेडा न्यूज़, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी मर्यादित।*

<u>वेबासाइट्स</u> :

***(1)** www.globalsolar.com **(2)** www.wikipedia.com **(3)** www.renewableenergyaccess.com*

❁❁

UGC Approved Journal
- Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**
Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 127-128
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

कृषि आय का विश्लेषणात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के ग्राम सेमरा के संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में कृषि आय का विश्लेषणात्मक अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के ग्राम सेमरा के संदर्भ में किया गया है। कृषि मौसम पर आधारित होती है। यदि मौसम अच्छा हो, तो कृषि से आय अधिक होती है और इसके विपरीत यदि मौसम अच्छा नहीं हुआ तो कृषि से आय कम होती है। ग्राम सेमरा, रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में यहाँ सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती रही। आज के इस वर्तमान युग में सिंचाई के अनेक साधन होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तत्पश्चात् सिंचाई के उत्पादन होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ के कृषक शिक्षित हो चुके हैं तथा सरकारी सुविधाओं का लगातार लाभ ले रहे हैं।

डॉ.पूजा तिवारी* एवं डॉ.एच.एस.भाटिया**

भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है। देश के सकल उत्पाद का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र का है। जबकि प्रदेश में कृषि या कृषि वस्तुएँ 20 प्रतिशत तथा कृषि उत्पाद से बनी वस्तुएँ 20 प्रतिशत अर्थात कुल 40 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र का है। देश में जनता की कृषि पर निर्भता तथा कृषि के महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है, कि जन–साधारण में उपयोग बचत में कृषि उत्पाद का हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है। विश्व के मुख्य विकासशील देशों में अग्रणी होने के बाद भी भारत आज कृषि प्रधान देश है। स्पष्टतः छ.ग. की स्थिति देश की औसत स्थिति से भिन्न ही है। यह राज्य कृषि क्षेत्र में देश के अत्यंत पिछड़े अंचलों में से एक हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य को पूर्णतः कृषि पर निर्भर प्रदेश कहा जाए, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, यहाँ की लगभग 63 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की आजीविका कृषि से सम्बंध है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.93 प्रतिशत कृषि भूमि है। यहाँ कृषि परम्परागत तथा लगभग मानसून पर निर्भर है। अतः प्रदेश की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अर्थात् मानसून की कृपा हुई तो अच्छा उत्पादन या वर्ष भर की खुशहाली अन्यथा अनावृत्ति की स्थिति में अकाल अर्थात दुर्दशा, भूखमरी एवं पलायन जैसी अभिशाप ग्रामीण कृषि का भाग्य बन जाता है। साथ ही अतिवृष्टी भी इसी प्रकार की स्थितियां निर्मित करती है। मानसून का धोखा एवं इससे उत्पन्न कुचक्र प्रत्येक वर्षों में घटित होते रहते है। सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएँ अपर्याप्त है। कृषि भूमि का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा सिचित क्षेत्र 19.96 है सिंचाई की पहुँच से दूर है। प्रदेश में एक मानसूनी फसल वह भी मुख्यतः चावल की ली जाती है। शायद यही कारण है, की छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जो अधिक सिंचाई पर ही निर्भर है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि आय से अधिक से अधिक अपव्यय कर रही है, जो व्यय को अधिक प्रवाह करती है।

यह राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के अभनपुर तहसील के अंतर्गत आता है। ग्राम सेमरा की कुल जनसंख्या 937 है।

इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 455.84 हेक्टेयर है। शास. भूमि 229.16 हेक्टेयर व गैर शास. भूमि 226.68 हेक्टेयर है, जिसमें खरीफ फसल 711.10 हेक्टेयर भूमि पर उपज की जाती है। जिसमें से 665. 50 हेक्टेयर सिचिंत भूमि है तथा 45.60 हेक्टेयर असिचिंत भूमि है।

यहाँ रबी फसल 70.40 हेक्टेयर भूमि पर उपज करते हैं, जिसमें 24.00 हेक्टेयर सिचिंत भूमि है व 46.40 हेक्टेयर असिंचित भूमि है।

ग्राम सेमरा नया राजधानी के पास एक अभनपुर ब्लाक का ग्रामीण क्षेत्र है। अतः नया राजधानी का क्षेत्र होने के कारण से यहाँ वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। यह प्राचीन काल में यह अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में सिंचाई के साधन अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इनकी कृषि से संबंधित क्रियाऐं अत्यधिक विकासशील होती जा रही है। कई सरकारी योजनाओं को अपनाने के कारण कृषि आप में वृद्धि करेगी।

वर्ष 2014–2015 का छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुसार प्रचलित गाँवों का 210191 करोड़ रूपये है, जो की विगत वर्ष से 13.2 प्रतिशत अधिक है ।

ग्राम सेमरा की कृषि आय

कृषि से आय	
वर्ष	**कृषि से आय**
2012–2013	200 0012
2013–2014	346 1417
2014–2015	452 3068
2015–2016	542 3061

**सेठ फूलचन्द अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, छुरिया, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)*
***शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नयापारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

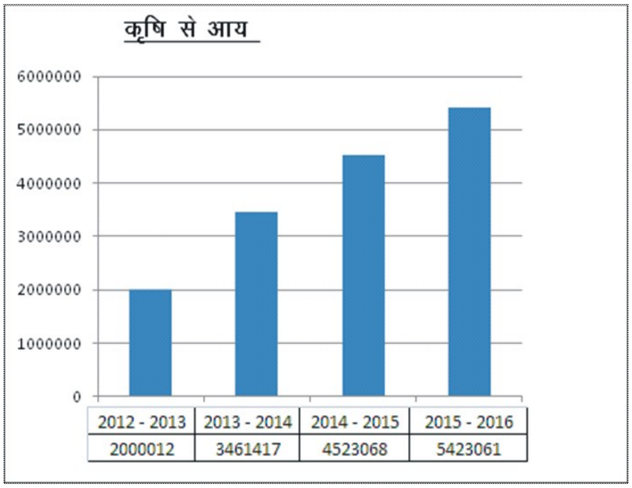

कृषि की वर्तमान स्थिति :

छ.ग. कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तथा छ.ग. प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। कृषि आयकर मुक्त होती है। यहाँ के व्यक्ति कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर अश्रित है। छ.ग. की कुल भूमि 51.6 प्रतिशत भाग में कृषि कार्य किया जाता है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी स्त्रोतों से लगभग 31.00 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 64 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई जलाशयों के माध्यम से सिंचित है, जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। धान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण छ.ग. के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है।

ग्राम सेमरा का कृषि भूमि विवरण

ग्राम का कुल क्षेत्र	455.84 हेक्टेयर
शास. भूमि	229.16 हेक्टेयर
गैर शास. भूमि	226.68 हेक्टेयर

निष्कर्ष :

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि मौसम पर आधरित होती है। अर्थात् मौसम अच्छा हो, तो कृषि से आय अधिक होती है और इसके विपरीत यदि मौसम अच्छा नहीं हुआ तो कृषि से आय कम होती है।

चूंकि ग्राम सेमरा रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में यहाँ सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती रही। आज के इस वर्तमान युग में सिंचाई के अनेक साधन होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तत्पश्चात् सिंचाई के उत्पादन होने के करण यहाँ अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे –गेहूँ, चना, गन्ना, भूट्टा इत्यादि। यहाँ के कृषक शिक्षित हो चुके हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

❁❁

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।
(2) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10 (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।
(3) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।
(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।
(4) शोधपत्र की विधि - **(1)** शीर्षक **(2)** एबस्ट्रेक्ट **(3)** की-वर्ड्स **(5)** प्रस्तावना/प्रवेश **(5)** उद्देश्य **(6)** शोध परिकल्पना **(7)** शोध प्रविधि एवं क्षेत्र **(8)** सांख्यिकीय तकनीक **(9)** विवेचन या विश्लेषण **(10)** सुझाव **(11)** निष्कर्ष एवं **(12)** संदर्भ ग्रंथ सूची।
(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -
For Books :
(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.
For Journals :
(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.
Web references :
http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html
(7) गुजराती माध्यम के शोधपत्र **हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफोंट वरुण (Terafont Varun), टेराफोंट आकाश (Terafont Aaksah)** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।
(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁❁

'रिसर्च लिंक' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-
बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
ब्रांच : ओल्ड पलासिया, इन्दौर,
कोड - **SBIN 000 3432**
खाते का नाम : रिसर्च लिंक,
खाता नंबर - **63025612815**
भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।